न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/4021/2002/झालावाड

(2) प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/4022/2002/झालावाड

1. घनश्याम पुत्र नैनालाल जाति ब्राहमण निवासी सामिया तहसील पिण्डावा जिला झालावाड

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राधेश्याम
2. सत्येन्द्रकुमार पुत्रगण लक्ष्मीनारायण
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी सामिया तहसील पिण्डावा
3. सुन्दर बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण मृतक जरिये वारिसान–

3/1. श्रीमती सज्जन बाई पत्नी बंशीलाल जाति ब्राहमण निवासी बनवाडा
3/2. छग्गनबाई पत्नी बद्रीलाल जाति ब्राहमण निवासी मिलवाडी
3/3. सन्तोषबाई पत्नी बसन्तीलाल जाति ब्राहमण निवासी मिलवाडी तहसील व जिला झालावाड
3/4. कान्ताबाई पत्नी महेशकुमार जाति ब्राहमण निवासी कनवाडा जिला झालावाड

4. राजस्थान सरकार

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री धूकलराम कसवां, सदस्य

उपस्थित
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 26.10.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 151/2001

एवं 171/2001 बउनवानी घनश्याम बनाम राधेश्याम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28-06-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य विवाद बिन्दू एवं विवादित भूमि के समान होने एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही अपीलाधीन निर्णय से किये जाने के कारण इन दोनों अपीलों का निस्तारण विद्वान अधिवक्तागण की सहमति से एक साथ किया जा रहा है, निर्णय प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3. दोनों प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी अपीलार्थी व राजस्थान सरकार के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 53 के तहत वादपत्र की मद संख्या-2 में वर्णित अनुसार अ, ब, स में वर्णित ग्राम सामिया स्थित आराजी एवं द में वर्णित ग्राम गुराडिया स्थित आराजी बाबत् प्रस्तुत कर वादीगण को उक्त समस्त आराजी का सहखातेदार घोषित किये जाने एवं बंटवारे का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी अपीलार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। बाद नोटिस तामिल प्रतिवादी अपीलार्थी के उपस्थित नहीं होने उस एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादीगण प्रत्यर्थीगण की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, झालावड द्वारा वादीगण प्रत्यर्थीगण की एकतरफा बहस सुनकर निर्णय दिनांक 28-08-2000 से वादपत्र के पैरा संख्या-2 के अ अंकित कुल किता 2 कुल रकबा 09बीघा 06 बिस्वा एवं ब में अंकित कुल किता 5 कुल रकबा 48बीघा 10बिस्वा को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 अपीलार्थी को सहखातेदार हिस्सा 1/2-1/2 घोषित किया जाकर बटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की। तत्पश्चात् प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार से प्राप्त बंटवारे के प्रस्ताव अनुसार दिनांक 10-01-2001 को विचारण न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री पारित की। विचारण न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री तथा अन्तिम डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी अपीलार्थी ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एव ंपदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में दो अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–06–2002 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीलें राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में दोनों अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रदर्श–2 वाद की मद संख्या–2 के ब में अंकित आराजी कुल किता 5 कुल रकबा 48बीघा 10बिस्वा भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी की शामलाती भूमि होना मानने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि उक्त भूमि प्रतिवादी अपीलार्थी के पिता नैनालाल की स्वअर्जित खरीदशुद्धा सम्पत्ति है, जिसका नामान्तरकरण वर्ष 1972 में तस्दीक किया गया। प्रतिवादी अपीलार्थी के पिता नैनालाल के देहान्त उपरान्त उक्त आराजी उनके पक्षकार के नाम जरिये विरासत के नामान्तरकरण से दर्ज हुई है, जिसमें वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। उनका कथन है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह साबित करने में असफल रहे है कि उक्त आराजी शामलाती भूमि हो अथवा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से खरीदी गयी हो। ऐसी स्थिति में वादीगण का उक्त खसरा नम्बरान बाबत् प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने योग्य ही नहीं था। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री पारित की गयी है, जो प्राकृतिक

न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य थी। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

6. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादपत्र की मद संख्या–2 के अ में अंकित भूमि सहखातेदारी की राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। मद संख्या–2 के ब में अंकित भूमि पैत्रिक सम्पत्ति है तथा संयुक्त हिन्दू अविभक्त परिवार की आय से खरीदी गयी है। कर्ता होने के कारण यह भूमि मृतक नैनालाल के खाते दर्ज रही। इस सम्बन्ध में दिनांक 26–12–1967 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड द्वारा पारित निर्णय में वादपत्र की मद संख्या–2 के ब में अंकित विवादित आराजी को शामलाती व संयुक्त हिन्दू अविभक्त परिवार से क्रय किया जाना एवं उनके पक्षकार का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा निहित होना माना गया है। उनका कथन है कि उक्त विवादित आराजी पर उनके पक्षकार का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर वादपत्र की मद संख्या–2 के अ व ब में अंकित भूमि को सहखातेदारी की भूमि होना मानते हुए बंटवारे के प्रस्ताव तहसीलदार से तलब किये गये। तत्पश्चात् तहसीलदार से बंटवारे के प्राप्त होने पर मूल वाद में अन्तिम डिक्री पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम

डिक्री के निर्णय को यथावत रखा गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को खारिज किया जावे।

7. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, झालावाड के समक्ष प्रतिवादी अपीलार्थी व राजस्थान सरकार के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 53 के तहत वादपत्र की मद संख्या–2 में वर्णित अनुसार अ, ब, स में वर्णित ग्राम सामिया स्थित आराजी एवं द में वर्णित ग्राम गुराडिया स्थित आराजी बाबत् प्रस्तुत कर वादीगण को उक्त समस्त आराजी का सहखातेदार घोषित किये जाने एवं बंटवारे का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी अपीलार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। बाद नोटिस तामिल प्रतिवादी अपीलार्थी के उपस्थित नहीं होने उस एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादीगण प्रत्यर्थीगण की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, झालावाड द्वारा वादीगण प्रत्यर्थीगण की एकतरफा बहस सुनकर निर्णय दिनांक 28–08–2000 से वादपत्र के पैरा संख्या–2 के अ अंकित कुल किता 2 कुल रकबा 09बीघा 06 बिस्वा एवं ब में अंकित कुल किता 5 कुल रकबा 48बीघा 10बिस्वा को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 अपीलार्थी को सहखातेदार हिस्सा 1/2–1/2 घोषित किया जाकर बटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की। तत्पश्चात् प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार से प्राप्त बंटवारे के प्रस्ताव अनुसार दिनांक 10–01–2001 को विचारण न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री पारित की। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की

मद संख्या–2 के अ में वर्णित भूमि पक्षकारान की सहखातेदारी में राजस्व अभिलेख में अंकित होना प्रमाणित है। वादपत्र की मद संख्या–2 के ब में वर्णित भूमि प्रतिवादी अपीलार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है किन्तु उक्त भूमि बाबत् प्रतिवादी के पिता नैनालाल ने लक्ष्मीनारायण एवं राधेश्याम के विरूद्ध एक वाद संख्या 47/123/1965 बउनवानी नैनालाल बनाम लक्ष्मीनारायण सहायक जिलाधीश, झालावाड के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत प्रस्तुत किया, जिसे सहायक कलक्टर, झालावाड द्वारा दिनांक 26–12–1967 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय में पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में सहायक कलक्टर द्वारा यह माना गया कि पक्षकारान संगे भाई है, भूमि सरकारी रिकार्ड में बडे भाई के नाम है, पहले दोनों शामिल रहते थे और शामिल में ही दोनों ने जमीनें बनाई है। किसी ने अलग होने के बाद खरीद की हो या सरकार से ली हो या ओर किसी जरिये से प्राप्त किया जाना प्रमाणित नहीं है। पेशशुद्धा रिकार्ड गवाहान के बयान से यह पाया जाता है कि भूमि शामलाती है जिसका बंटवारा नहीं हुआ, पंच फैसला हुआ, जो सही है। हालांकि पंच फैसले में प्रतिवादी को गरीब समझ कर जमीन कम दी गयी है। उक्त से स्पष्ट है कि वादपत्र की मद संख्या–2 के ब में वर्णित भूमि पक्षकारान की संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से खरीदी गयी भूमि है तथा कर्ताखानदान होने से उक्त भूमि प्रतिवादी अकेले के नाम से दर्ज हुई, जिसमें वादीगण प्रत्यर्थीगण का हक व हिस्सा निहित है। सहायक कलक्टर, झालावाड द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी नैनालाल की ओर राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील के विचाराधीन रहते वादी अपीलार्थी नैनालाल का देहान्त हो जाने के उपरान्त प्रतिवादी घनश्याम की ओर से इतिला होने के बावजूद भी कायम मुकाम का कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–09–1972 से अपील

अबेट होने से खारिज कर दी। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने वादपत्र की मद संख्या–2 के अ व ब में अंकित विवादित आराजी पर वादीगण प्रत्यर्थीगण को सहखातेदार घोषित कर कर 1/2 –1/2 हिस्सा कायम कर बंटवारे की प्राथमिक डिक्री जारी की गयी है तथा तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की गयी है तथा वादपत्र की मद संख्या–2 के स व द में अंकित भूमि बाबत् कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय से प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री जारी की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

9. इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों में प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिनमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये हो। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन

निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–06–2002 एवं सहायक कलक्टर, झालावाड द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28–08–2000 तथा अन्तिम डिक्री दिनांक 10–01–2001 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य